कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14420/1791 दिनांक:– 27/06/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग
07 JUL 2014
बिहार सरकार, पटना

Sec VII
09.07.14

महाशय,

नगर पंचायत, शिवहर के वर्ष 2009–10 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 673/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

Gen. 4481 (S)
8.7.14.

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर पंचायत, शिवहर

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.– 673/2013–14

अवधि– 2009–10 से 12–13

1. **प्रस्तावना**

शिवहर, नगर पंचायत के वर्ष 2009–10 सें 2012–13 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 03.06.13 से 08.06.13 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

कम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री उपेन्द्र प्रसाद	01.04.09 से 16.04.10
2	श्री अमिताभ सिंह	16.04.10 से 12.02.11
3	श्री विनय कुमार सरस	12.02.11 से 06.09.11
4	श्री कृष्ण मोहन राम	06.09.11 से 31.03.13

मुख्य पार्षद

1	श्रीमति प्रभावती देवी	01.04.09 से 08.06.12
2	श्रीमति चन्द्रकला देवी	09.06.12 से 31.03.13

उप मुख्य पार्षद्

1	श्री शिवशंकर बैठा	01.04.09 से 08.06.12
2	श्री कौशल किशोर तिवारी	09.06.12 से 31.03.13

3. **लेखापरीक्षा का क्षेत्र**

लेखापीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –। तथा लेखापरीक्षा में उपस्थित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–।। में दी गयी है।

4. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में उपस्थित नहीं किया गया।

(67)

5. प्रमुख लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

क्र0 सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	11	निधि का अवरोधन– रू. 8727178.00
2	12	कम/नहीं जमा–रू. 3855.00
3	14	सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं:–रू. 562566.00
4	15	संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं नवीकरण का बकाया शुल्क–रू. 756000.00
5	17	स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने से राजस्व क्षति– रू. 93102.00
6	18	लघु खनिज की ढुलाई पर अनियमित भुगतान– रू. 4006924.00
7	19	मार्केट कम्पलेक्स के निर्माण में अलाभकारी भवन– रू. 1713289.00
8	20	अनियमित रूप से एकल निविदा– रू. 3531004.00
9	21	निम्न गुणवत्ता का कार्य– रू. 752585.00
10	22	मापीपुस्त में गलत प्रविष्ट के कारण अधिक भुगतान– रू. 106292.00
11	23	अधिक भुगतान– रू. 3000.00
12	24	कबीर अन्तयेष्टि योजना राशि का संदेहास्पद वितरण कार्य– रू. 78000.00
13	25	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय–रू. 1567945.00

6. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नगर पंचायत लेखा के आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20, 30 तथा 36 एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के प्रावधान हैं। नियमावली में दी गयी जाँच प्रकिया का उद्धेश्य लेखापरीक्षा के समुचित संधारण तथा समन्वयन के साथ– साथ त्रुटियाँ एवं अतियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित जाँच नहीं की गयी, जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पायी गयी। इनकी विवेचना आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

निश्चित अन्तराल पर, अगर नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जाँच प्रकिया अपनायी गयी होती तो लेखापरीक्षा के क्रम में पायी गयी त्रुटियाँ नहीं होती।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से यह अनुरोध है कि आंतरिक जाँच प्रकिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितता/त्रुटियों का पुनरावृति न हो।

7. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, शिवहर द्वारा सामान्य रोकड़ वही, सहायक रोकड़ बहियों के आधार पर संधारित था एवं पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के आधार पर वर्ष 2009–10 से 2012–13 का आय– व्यय विवरणी तैयार किया गया है।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

8. बैंक समाधान विवरणी

सहायक रोकड़ बहियों एवं बैंक खाता/कोषागार खाता का अन्तशेष दिनांक 31.03.13 को निम्न प्रकार से था:–

क0 सं0	सहायक रोकड़ बही	बैंक एवं खाता सं0	रोकड़ बही का अन्तशेष	बैंक /कोषागार खाता का अन्तशेष	अन्तर
1	पथ निर्माण	एस.बी.आई–11469258718	731191.94	761844.06	30652.12
2	13वीं वित्त	केनरा बैंक–3132101001299		867032.00	
		कोषागार खाता–152	5675237.00	4875000.00	66795.00
3	मु0 मंत्री शहरी विकास	बैंक ऑफ इण्डिया–44361021 0000014	449680.00	723729.00	274049.00
4	स्वच्छता	एस.बी.आई–11469258707	118570.86	556668.00	438097.14
5	बी.आर.जी.एफ	बैंक ऑफ इण्डिया–4436102100011227	10631632.00	7107755.00	1920422.00
		केनरा बैंक–3132101001298		5444299.00	
6	लघु सिंचाई/पेयजलापूर्ति	एस.बी.आई–11469258694	3840406.65	4504564.11	664157.46
7	सम विकास	अनुपलब्ध	7532.00	अनुपलब्ध	ज्ञात नहीं
8	एन.एस.डी.पी	अनुपलब्ध	57608.00	अनुपलब्ध	ज्ञात नहीं
9	एस.जे.एस.आर.वाई	सी.बी.आई–1812429543.00	2696867.00	2913164.93	216297.93
10	12वीं वित्त	अनुपलब्ध	2196637.00	अनुपलब्ध	ज्ञात नहीं
11	आई.डी.एस.एम.टी	अनुपलब्ध	605825.00	अनुपलब्ध	ज्ञात नहीं
12	न0प0 खाता शुल्क उगाही	अनुपलब्ध	17658381.11	अनुपलब्ध	ज्ञात नहीं

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ :–

1. वर्ष के अन्त में शीर्षवार आय – व्यय विवरणी (मासिक एवं वार्षिक) नहीं बनाया गया।
2. अन्तर का बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया।

165

3. सम विकास, एन.एस.डी.पी, 12वीं वित्त, आई.डी.एस.एम.टी एवं न0प0 खाता शुल्क उगाही का बैंक खाता अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. एक से अधिक मदों का संव्यवहार संयुक्त रूप से एक ही खातों से किया जा रहा था।
5. किसी भी मद के रोकड़ बहियों में बैंक ब्याज का इन्द्राज नहीं किया गया था।
6. सामान्य व सहायक रोकड़ बहियों में योजना से संबंधित व्यय भाग में अभिश्रव सं व चेक सं0 का उल्लेख नहीं किया गया था।
7. योजना पंजी का संधारण नगर पंचायत के द्वारा नहीं किया जा रहा था। इसके जगह पर चेक पंजी से काम चलाया जा रहा था। इस कारण योजनावार वास्तविक व्यय को चिन्हित नहीं किया जा सका।

   अतः योजना पंजी को उचित रूप से जिसमें योजना सं0, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, मापी पुस्तिका की राशि, संवेदक/अभिकर्ता का नाम, चेक सं0 व तिथि तथा कार्य की विस्तृत विवरणी (भौतिक स्थिति सहित) इत्यादि उल्लेख हो, का संधारण किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

   उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जबाव दिया गया कि उपर्युक्त सुझावों का तत्काल अनुपालन किया जा रहा है।

   अतः उपर्युक्त आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

9. वार्षिक लेखा तथा वजट प्राक्कलन

नगर पंचायत, शिवहर द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 82 से 84 के तहत, वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए मदवार प्राप्तियों एंव मासिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने से शीर्षवार आय एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 84 के अनुसार उसे सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं समिति उसमें यथोचित संशोधन कर सकेगी। 15 मार्च तक नगरपालिका ऐसे परिवर्तन के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। नगर पंचायत के मामले में स्वीकृत बजट को उप निदेशक लोकल फंड को भेजा जाएगा जिसे वह 31 मार्च तक वापस कर सकेगा।

नगर पंचायत तथा समय– समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार वगैर बजट प्रावधान के किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा। बगैर बजट प्रावधान के उक्त वर्षों में किए गए व्यय को

अप्राधिकृत व्यय माना जाएगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2012–13 के दौरान किया गया संपूर्ण व्यय अप्राधिकृत हो गया।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जबाव दिया गया कि वर्ष 2013–14 से बजट बनाया गया है। इसके पूर्व वर्ष का बजट नहीं बनाया गया था।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928, तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय– समय पर जारी किया गया दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष मदवार प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक, त्रैमासिक व मासिक लेखा तथा बजट प्राक्कलन तैयार करवाने की दिशा में उचित व प्रभावी कदम उठाया जाए।

10. सरकारी अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था, इसमें केवल वही अनुदान लिया गया था जिसका लेखा कोषागार खाता से संव्यवहारित था एवं एक तिथि में सभी मदों के अनुदानों को सम्मलित रूप से प्रारम्भिक शेष में जोड़ दिया जाता था तथा किसी भी मद के व्यय को उस तारीख को अनुदान से घटा दिया जाता था इस प्रकार अनुदान पंजी मदवार संधारण नहीं किया गया था। जिसके कारण पूर्व वर्ष की अव्ययित अनुदान, वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान, अनुदान का व्यय एवं वर्षान्त पर अव्ययित अनुदान राशि की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यय उन्हीं उद्धेश्य हेतु किया गया जिसके लिए अनुदान प्राप्त था।

फिर भी रोकड़ पंजी, सहायक रोकड़ पंजी, अनुदान पंजी के आधार पर यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2012–13 में नगर पंचायत को कुल रू. 68329751.00 अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IV पर)

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत द्वारा जबाव दिया गया कि आगे इसे शीर्षवार किया जाएगा।

अतः अनुदान पंजी का उचित रूप से संधारण कर एव प्राप्त अनुदानों में से किये गये व्यय की उपयोगिता प्रमाणपत्र अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

11. निधि का अवरोधन– रू. 87.27 लाख

नगर पंचायत, शिवहर के वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक के विभिन्न मदों के सहायक रोकड़ पंजी एवं संबंधित बैंक खाता के नमूना जांच में पाया गया कि अनुदान की राशि दो या दो से अधिक वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी हुई थी, जिसकी विवरणी इस प्रकार है–

क0 सं0	रोकड़ पंजी	रोकड़ पंजी के पृष्ठ सं0	दिनांक जब से अनुदान अप्रयुक्त पड़ी हुई थी	अनुदान की राशि	अभियुक्ति
1	राष्ट्रीय गंदी बस्ती	20	09.12.10	57608.00	लगभग 2.5 वर्ष से अप्रयुक्त
2	बारहवीं वित्त	15	08.12.10	2196637.00	लगभग 2.5 वर्ष से अप्रयुक्त
3	स्वच्छता	13	08.12.10	118570.00	लगभग 2.5 वर्ष से अप्रयुक्त
4	आई0डी0आई0एस0एम0टी0	15	28.06.11	605825.00	लगभग 02 वर्ष से अप्रयुक्त
5	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार	..	31.03.08	73301.00	लगभग 05 वर्ष से अप्रयुक्त
6	तेरहवीं वित्त	10	31.03.11	5675237.00	प्राप्ति वर्ष 2010–11 से सम्पूर्ण राशि अप्रयुक्त
योग				8727178.00	

बिहार वित्त नियमावली 2005 (खंड–1) के नियम 343 के अनुसार अनुदान की राशि के उपयोग नहीं होने पर संस्वीकृति प्राधिकार को वापस कर देना चाहिए। अनुदान के अवरोधन से उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई जिसके लिए अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई गई थी। साथ ही वर्षों से अप्रस्तुत राशि नगर पंचायत की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि निधि वित्तीय वर्ष 2013–14 में खर्च की जा रही है।

12. कम/नहीं जमा

गृह कर वसूली हेतु निर्गत किये गये होल्डिंग टैक्स रसीद बुकों एवं अन्य शुल्क वसूली हेतु जारी किये गये विविध रसीद बुकों का संबंधित रोकड़ बही एवं बैंक चलान के साथ नमूना जांच में पाया गया कि श्री नथुनी चौधरी, टैक्स दारोगा के द्वारा रू. 3855.00 को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया का विवरण निम्न है–

क्रम सं0	रसीद सं0 / तिथि	वसूली गयी राषि
1	2463 / 29.05.13 2465 / 03.06.13	3855.00

अतः इस राशि ₹3855.00 को अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत निधि (पी.एन.बी. खाता सं:– 4993000100034315) में जमा कर दिया, इसकी प्रविष्टि बैंक पासबुक में भी कर दिया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. नगर पंचायत के द्वारा होल्डिंग टैक्स की वसूली वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रारंभ की गई थी।
2. दैनिक संग्रह, हस्त मांग, मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था।
3. रोकड़पाल रोकड़ बही का भी संधारण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया उपर्युक्त राशि को जमा कर दी गई है।

13. विभिन्न प्रकार के करों का अधिरोपण नहीं

नगर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ. एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के विभिन्न धाराओं / उपबंधों के अंतर्गत नगर निकाय को अनेक प्रकार के करों, उपकरों, अधिभार, अनुज्ञप्ति शुल्क आदि को अधिरोपित कर वसूलने की शक्ति प्रदान की है। संक्षिप्त विवरणी निम्न है:

धारा 127:– विभिन्न प्रकार के करों की वसूली जैसे–विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, तीर्थ एवं पर्यटक कर आदि

धारा 128:– यूजर चार्जेज

धारा 129:– अनुज्ञप्ति शुल्क जैसे– खतरनाक एवं भयावह शुल्क अस्पताल, नर्सिंग होम, फैक्ट्री, सिनेमा हॉल आदि

धारा 147:– विज्ञापन कर

धारा 342:– नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति शुल्क, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 2500 प्रतिवर्ष है।

नगर पंचायत के अंकेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त धारा में वर्णित किसी भी प्रकार के करों / उपकरों / शुल्कों का अधिरोपण नहीं किया गया था। जबकि नगर पंचायत, शिवहर जिला

मुख्यालय होने के नाते अनेक प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाये जा रहे थे। नगर पंचायत के द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम भी नहीं उठाये गये थे।

इस प्रकार नियमानुसार करों के अधिरोपण नहीं होने से नगर पंचायत को बहुत भारी राजस्व की क्षति हो रही थी।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि बोर्ड की बैठक में रखकर इस संबध में कर निर्धारण की जाएगी।

अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित करों के अधिरोपण हेतु ठोस कदम उठाये जाये ताकि नगर पंचायत आर्थिक रूप से सुदृढ हो सके। कृत कार्रवाई से अगले अंकेक्षण को अवगत कराये जाय।

14. सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं– रू. 5.62 लाख

होल्डिंग (सम्पत्ति) कर से सम्बन्धित मॉग एवं वसुली पंजी नगर निकाय में असंधारित थी। जिसके कारण नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कुल सरकारी भवनों एवं उस पर बकाया, करों की मॉग तथा संग्रहण की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी, हालॉकि, नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार दिनांक 31.03.13 तक नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत कुल 44 सरकारी भवनों पर रू. 562566.00 होल्डिग कर के रूप में बकाया थी। उपलब्ध सूची के अनुसार जवाहर नवोदय विधालय को छोड़कर अन्य किसी भी भवनों से करों की वसूली प्रारम्भ नहीं कि गई थी।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जबाव दिया गया कि संबंधित भवनों पर वसूली हेतु नोटिस निर्गत की जा रही है।

अतः उपर्युक्त बकाया राशि रू. 562566.00 वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

15. संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं बकाया नवीकरण 'शुल्क की वसूली नहीं– रू.7.56 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क रू. 30000 प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क रू. 8000/– प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपयुर्क्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर्युक्त वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत दस मोबाइल टावर अधिस्थापित थे, जो उपर्युक्त नियमावली के

अनुसार नगर निकाय से अपंजीकृत थे एवं अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर रू. 756000.00 शुल्क बकाया था।

। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–V पर

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जबाव दिया गया कि संबंधित व्यक्तियों को इस संबंध में शीघ्र नोटिस किया जा रहा है।

अतः बकाया राशि रू. 756000.00 मोबाईल टावर मालिकों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

16. टिन टिकट

टिन टिकट की बंदोबस्ती वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में नहीं की गई थी न ही विभागीय वसूली की गई बल्कि कमीशन एजेंट की बहाली करके उसकी वसूली करवाई गई। टिन टिकट की छपाई एवं उसके प्रयोग संबंधित विवरणी इस प्रकार है–

क0सं0	वर्ष	टिन टिकट	टिन टिकट सं0	दर	मूल्य	प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता	प्रयुक्त	अप्रयुक्त	भंडार पंजी की पृष्ठ सं0
1	2011–12	साईकील	4000	220 प्रति सैकड़ा	8800	गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, पटना सिटी	1000	3000	पृ0/36
		रिक्शा	50	450 प्रति सैकड़ा	225		–	50	पृ0/37
		टमटम	50		225			50	पृ0/37
		ठेला	50		225			50	पृ0/38
		टायर गाड़ी	50		225			50	पृ0/39
योग					9700			3200	
2	2012–13	साईकील	2000	220 प्रति सैकड़ा	4400		7000	1300	पृ0/41
		रिक्शा	50	450 प्रति सैकड़ा	225			50	पृ0/42
		टमटम	50		225			50	पृ0/43
		ठेला	50		225			50	पृ0/44
		टायर गाड़ी	50		225			50	पृ0/45
योग					5300			1500	

वर्ष 2011–12 में टिन टिकट की छपाई में रू. 9700.00 का व्यय हुआ जबकि मात्र साईकील टिन टिकट की बिक्री से रू. 10000.00 की कुल प्राप्ति (संख्या 1000 दर 10/अदद) जिसमें 20 प्रतिशत

(59)

कमीशन काटने के बाद 8000 रूपये (मनी रसीद संख्या 342 एवं 343 दिनांक 21.04.12) नगर पंचायत के खाता में जमा हुआ। इस प्रकार रू. 9700.00 के व्यय के बाद रू. 8000.00 की प्राप्ति हुई।

इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में साईकिल से संबंधित टिन टिकट की बिक्री से 20 प्रतिशत काटने के बाद रू. 5600.00 (संख्या 700 दर 10/अदद) की प्राप्ति नगर पंचायत को हुई।

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि लागत के विरूद्व प्राप्ति जो कार्य के प्रति उदासीनता एवं अदूरदर्शी निर्णय झलकता है। वर्ष 2011–12 एव 2012–13 में साईकिल से संबंधित टिन टिकट की बिक्री नाम मात्र की हुई बाकी आइटमों की बिक्री बिल्कुल नहीं हुई। अनावश्यक रूप से टिन टिकटों की छपाई की गई। अतएव अप्रयुक्त टिन टिकटों (रिक्शा को छोड़कर) के छपाई मूल्य रू. 1800.00 (225 गुणा 4 गुणा 2) की राजस्व क्षति हुई।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि स्थानीय विवाद के कारण कमीशन एंजेन्ट द्वारा इसको लगाने में दिलचस्पी नहीं लिया गया। भविष्य में इस पर विभागीय एवं बंदोवस्ती हेतु प्रयास किया जाएगा।

अतः उपरोक्त राशि रू. 1800.00 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

17. स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने से सरकार को राजस्व क्षति– रू. 0.93 लाख

इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 (1)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोबस्ती रजिस्टर्ड होना चाहिए।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.02) एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन (पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) के निर्देश के आलोक में किसी प्रकार की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए जिसका मूल्य बंदोबस्ती की राशि के 03 प्रतिशत के बराबर होगा।

नगर पंचायत, शिवहर के वर्ष 2009–10 सें 2012–13 तक के बंदोबस्ती संबंधित संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि बंदोबस्तदार से बंदोबस्ती संबंधित एकरारनामा सादे कागज पर किया गया। स्टाम्प पेपर पर बंदोबस्ती नहीं होने से राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष को रू. 93102.00 के राजस्व की क्षति हुई।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि इस संदर्भ में सरकार का दिशानिर्देश प्राप्त नहीं था। भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा।

अतः स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किए जाने से रू. 93102.00 राजस्व क्षति हुई जिसकी वसूली कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

18. लघु खनिज की ढुलाई पर अनियमित भुगतान–रू. 40.07 लाख

बिहार लघु खनिज समुदाय नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार लघु खनिजों की ढुलाई सुनिश्चित करने एवं अवैध खनन को रोकने हेतु संवेदकों से प्रपत्र एम एवं एन के साथ चालानों की प्रति ली जानी चाहिए तथा प्राप्त चालानों का सत्यापन संबंधित जिला खनन पदाधिकारी से करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना चाहिए।

बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 84 के अनुसार सामग्री के खरीद/ढुलाई में अभिश्रव का होना आवश्यक है।

नगर पंचायत, शिवहर के वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक के विभिन्न मदों से कार्यान्वित योजनाओं के नमूना जांच में पाया गया कि योजनाओं के प्राक्कलन में सामग्रियों यथा– सोन बालू, मोरम स्टोन चिप्स, स्टोन मेटल आदि की ढुलाई हेतु ढुलाई चार्ज का अलग से प्रावधान किया गया था लेकिन सामग्रियों के खरीद एवं ढुलाई से संबंधित किसी प्रकार का अभिश्रव संचिका में संलग्न नहीं था। संवेदक द्वारा प्रपत्र एम एवं एन भी जमा नहीं किया गया था। बगैर प्रपत्र एम एवं एन के अभाव में सामाग्री की खरीद एवं ढुलाई वैध खदान एवं अधिकृत बिक्रेता से किया गया यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा सामग्रियों की ढुलाई प्राक्कलन में वर्णित दूरी से किया गया यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। अतः कुल 04 योजनाओं में सामग्रियों के ढुलाई के नाम पर ढुलाई चार्ज पर किया गया भुगतान रू. 4006924.00 अनियमित था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VII पर)

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि संवेदक से फार्म एम एवं एन की मांग की जा रही है। भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा।

अतः नगर पंचायत के द्वारा संवेदक से फॉर्म एम एवं एन एवं अभिश्रव प्राप्त करने तक उपरोक्त राशि रू. 4006924.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(57)

19. मार्केट कम्पलेक्स के निर्माण में अलाभकारी व्यय–रू.17.13 लाख

केन्द्र प्रयोजित योजना आई0डी0एस0एम0टी0 के तहत जिला पदाधिकारी, शिवहर से वर्ष 1998–99 में नगर पंचायत को 06 लाख रूपये की प्राप्ति हुई। इसके अन्तर्गत कर्मचारी भवन के पीछे मार्केट कम्पलेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। इस प्रयोजन हेतु रू. 1422600.00 का प्राक्कलन बनाया गया। वर्ष 2000 तक अधूरा कार्य करके छोड़ दिया गया जिसमें कार्य मूल्य रू. 580498.00 था। संचिका के अनुसार योजना के बंद होने का कारण राशि का अभाव था।

पुनः जिला पदाधिकारी शिवहर के निर्देश के आलोक में बोर्ड की दिनांक 10.07.07 की बैठक में मार्केट कम्पलेक्स के अधूरे कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य को पूरा करने हेतु नगर विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जिला, शिवहर के नाम से 10 लाख, ड्राफ्ट सं0 048613 दिनांक 06. 09.05 की प्राप्ति पूर्व में हुई थी जिसका स्थानांतरण नगर पंचायत, शिवहर के खाता में किया गया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए रू. 1204300.00 का पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया गया जिसकी तकनीकी स्वीकृति ताकर्यपालक अभियंता द्वारा एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पदाधिकारी, शिवहर द्वारा दिनांक 31.03.07 को दी गई। इसक लिए श्री जीतू बैठा, अंचल अमीन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया (ज्ञांपांक 02 मु0/दिनांक 19.01.08) एवं तदनुरूप कार्यादेश निर्गत किया गया एवं कार्य को 90 दिन के अंदर पूर्ण करने को कहा गया। वर्ष 2010–11 की समाप्ति पर योजना को पूरा किया गया जिसका कार्य मूल्य रू. 1132791.00 था जिसमें आवश्यक कटौती के पश्चात अभिकर्ता को शेष राशि का भुगतान किया गया। 10 वर्ष से ज्यादा अवधि बीत जाने के बाद आखिरकार मार्केट कम्पलेक्स का निर्माण संभव हो पाया।

दिनांक 08 मई 2012 को दैनिक अखबार हिन्दुस्तान में इस संबंध में सचित्र खबर प्रकाशित हुई कि शिलान्यास के कई वर्षों बाद इसका निर्माण शुरू किया एवं लिंटर लेवल तक कार्य होने पर कार्य ठप हो गया। इसके 10 वर्षों बाद नगर पंचायत के विशेष पहल पर पुनः निर्माण कार्य शुरू करवाकर इसे पूर्ण करवाया गया। इसमें एक भी दुकान नहीं खुला है। अगर दुकान भाड़े पर लगाया जाता तो इससे नगर पंचायत को काफी मुनाफा होता। निर्माण कार्य के बाद मार्केट कम्पलेक्स के 19 दुकानों की बंदोबस्ती हेतु आम सूचना निकाली गई (ज्ञापांक 55/न0प0 दिनांक 25.02.12) जिसकी संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:

कुल कमरो की संख्याः– 19

बड़े कमरों की संख्याः– 03 (1 से 3)

छोटे कमरों की संख्याः– 16 (4 से 19)

बड़े कमरों का किराया 1000 रू. प्रतिमहीना एवं छोटे कमरे का किराया 700 रूपया प्रतिमाह निर्धारित किया गया। भाड़े में प्रति तीन वर्ष पर 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा प्रतिकमरा 75000/– रूपया सुरक्षित जमा निर्धारित किया गया।

वर्तमान में मई 2013 तक दुकान की बंदोबस्ती नहीं हुई थी। अगर बंदोबस्ती होती तो सुरक्षित जमा के रूप में कुल रू. 1425000.00 (19 गुणा 7500) एवं वार्षिक किराया के रूप में रू. 170400.00 (1000 गुणा 3 गुणा 12 जोड़ 700 गुणा 16 गुणा 12) की प्राप्ति होती। नगर पंचायत की उदासीनता के कारण अनवरत रूप से एक बड़े राजस्व की क्षति तो हो रही थी। इस प्रकार मार्केट कम्पलेक्स के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब एवं दुकान की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण इस पर किया गया कुल व्यय राशि रू. 1713289.00 (₹580498 + ₹1132791) अलाभकारी था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि पहले पथ नहीं बनने के कारण आम लोगों के दिलचस्पी नहीं लेने के कारण इसकी बंदोबस्ती नहीं हो पायी। वर्तमान में पहुंच पथ एवं नाला की निर्माण हो रही है। अतः शीघ्र बंदोबस्ती हो जाएगी। अतः उपर्युक्त व्यय रू. 1713289.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है। जबाव संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बिना पहुंच पथ एवं नाला निर्माण के मार्केट कम्पलेक्स का काम नहीं होना चाहिए था।

20. अनियमित रूप से एकल निविदा की स्वीकृति–रू. 35.31 लाख

बिहार वित्त नियमावली खंड–1 के नियम 30(6) क के अनुसार प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर निविदा को तत्काल रद्द कर दुबारा निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए। यदि पुनः एकल निविदा की प्राप्त हो और कार्य जनहित में उपयोगी हो तो बिहार लोक निर्माण संहिता खंड–1 के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से एक स्तर के उपर के पदाधिकारी द्वारा ली जानी चाहिए।

नगर पंचायत, शिवहर के वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2012–13 के विभिन्न मदों के योजना अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राप्त एकल निविदा को प्रथम बार में ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जिस पर कुल रू. 3531004.00 व्यय किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर)

इस प्रकार उपरोक्त नियम का उल्लघंन करते हुए अनियमित रूप से एकल निविदा को ही स्वीकृति प्रदान कर योजनाओं का कियान्वयन किया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि अन्य योजनाओं में एकल निविदा की बात नहीं है। वर्णित योजनाओं में प्राप्त भार में संवेदक के भाग नहीं लेने से एकल निविदा की स्थिति बनी भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उक्त योजनाओं पर किया गया अनियमित व्यय रू. 3531004.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

21. निम्न गुणवत्ता का कार्य–रू.7.52 लाख

योजना का नाम – वार्ड सं0 15 में इस्लामपुर आर.ई.ओ रोड में 'शौकत अली के घर तक पी. सी.सी कार्य

एकरारनामा सं0–13/एफ2/10711 (पथ निर्माण योजना)

संवेदक का नाम– श्री कौषल किशोर तिवारी

प्राक्कलित राशि– रू. 909500.00

तकनीकी स्वीकृति– 15.01.10 कार्यपालक अभियंता, आर.डबलु.डी डिवीजन–2

प्रषासनिक स्वीकृति – 17.03.10, जिला पदाधिकारी, शिवहर

कार्यादेश की तिथि– 09.06.10

कार्य पूर्ण करने के निर्धारित तिथि–03 माह

कार्य की अंतिम मापी– 06.02.11

मापी पुस्तिका की राशि–रू. 752585.00

भुगतान (सभी करों सहित)– रू. 752585.00

संबंधित कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार (रू. 627200.00) कर कार्यपालक अभियंता आर.डब्लु.डी. डिवीजन–2 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई जिसें प्रषासनिक स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, शिवहर को भेजा गया। जिला पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलन में वर्णित 500 फीट गुणा 10 फीट में ईंट कार्य (आईटम नं0 4) को हटाकर मेटल ग्रेड –।। एवं मोरम देकर रोलिंग करने एवं उस हार्ड सर्फेश पर 06 ईंच पी. सी.सी. कार्य का प्रावधान कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने का आदेष दिया गया (पत्रांक 383/जि. यो. दिनांक 05.12.09)।

पुनरीक्षित प्राक्कलन में यघपि मेटल ग्रेड–। एवं मोरम के कार्य का प्रावधान (आईटम नं. 4) किया गया लेकिन संबंधित ईंट कार्य को पी.सी.सी. कार्य के बाद पुनः अलग से जोड़ दिया गया (आईटम नं. 7)। इस प्रकार कुल रू. 909500.00 को प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। (पत्रांक 81/जिं.यो. दिनांक 17.03.10)

संबंधित योजना के अभिलेख एवं मापी पुस्तिका के जांच क्रम में ज्ञात हुआ कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार मेटल ग्रेड–।। एवं मोरम देकर पी.सी.सी करने के बजाय 500 फी गुणा 10 फीट में ईंट कार्य करके ही पी.सी.सी कार्य किया गया (मापी पुस्त पृष्ठ 2 आईटम नं.4)

अंकेक्षण आपत्ति

1. पी.सी.सी कार्य पूर्ण होने के बाद संपूर्ण सड.क (500 फीट गुणा 10 फीट) में ईंट कार्य के प्रावधान (आईटम नं. 7) किया गया था।
2. जिलाधिकारी द्वारा आदेश देने के बावजूद ईंट कार्य के उपर ही पी.सी.सी का कार्य किया गया जिससे निश्चित रूप से कार्य की गुणवत्त प्रभावित हुई। इस प्रकार जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंधन कर निम्न गुणवत्ता के कार्य पर रू. 752585.00 का अनियमित व्यय किया गया था।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता से इस संदर्भ में पूछताछ किया जाएगां।

जवाब संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है।

अतः जिला पदाधिकारी द्वारा इस काये के पुनः प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्ति करने तक उपरोक्त राशि रू. 752585.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

22. मापी पुस्तिका में गलत प्रविष्टि के कारण अधिक भुगतान– ₹1.06 लाख

योजना का नाम – श्याम जेनरल स्टोर्स से मध्य विधालय तक नाला निर्माण।

एकरारनामा सं0–01 एफ2/2012–13

संवेदक का नाम– श्री अलख निरंजन चौधरी

प्राक्कलित राशि–रू. 660000.00

तकनीकी स्वीकृति– 14.02.10, कार्यपालक अभियंता, आर.डब्लु.डी. डिवीजन

प्रशासनिक स्वीकृति– 12.07.11, उप0 विकास आयुक्त, शिवहर

153

कार्य प्रारंभ की तिथि– 03.04.12

कार्यावधि– 03 माह

मापी की अंतिम तिथि–30.11.12 (तीसरा एवं अंतिम, पृष्ठ–31)

मापी पुस्त की राशि–रू. 635196.00

संवेदक को भुगतान– रू. 635196.00 (सभी करों सहित)

संचिका में संलग्न प्राक्कलन के अनुसार 112.0 एम में आर.सी.सी. नाला का निर्माण करना था जिसके उपर 0.10 एम मोटा आर.सी.सी ढक्कन का भी प्रावधान था।

संलग्न मापी पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया कि प्रथम मापी में 106 एम की लंबाई में नाला का निर्माण ढक्कन सहित (पृष्ठ–10 से 11, मुल्य रू. 468694.00) एवं द्वितीय मापी में 06 एम की लं0 में नाला का निर्माण ढक्कन सहित (पृष्ठ–12 से 21, मुल्य रू. 594766.00) किया जा चुका था। इस प्रकार पूरी लं0 (112 एम) में नाला एवं ढक्कन का निर्माण कार्य किया जा चुका था। जिसका मुल्य रू. 594766.00 था।

पुनः कुछ कार्यो के मूल्य में मामूली वृद्वि कर के तृतीय मापी तैयार की गयी जिसका मुल्य रू. 635196. 00 था। इस प्रकार वृद्धि किये गये कार्य मूल्यों की विवरणी निम्नलिखित है–

क0सं0	कार्य का नाम	द्वितीय मापी	तृतीय मापी	वृद्धि	दर	मूल्य
1	डिसमेंटलिंग आफ ब्रिक	19.69 ध0मी0	26.14 ध0मी0	06.45 ध0मी0	234.45	1512.00
2	रैनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट वर्क	42.42 घ0मी0	44.30 घ0मी0	01.88 घ0मी0	5346	10050.00
3	सीमेंट प्लास्टर (1:4)	236.90 व0मी0	269.54 व0मी0	42.64 व0मी0	99	4221.00
4	पनिंग	236.90 व0मी0	238.94 व0मी0	2.04 व0मी0	21	43.00
5	एम.एस. रॉड	3802.11 कि0ग्रा0	4265.25 कि0ग्रा0	463.13 कि0ग्रा0	48.05	22254.00
6	सेन्टरिंग एण्ड शैटरिंग	368.20 व0मी0	385.20 व0मी0	17 व0मी0	130.15	2212.00
कुल						40292.00

उपर्युक्त विवरणी से साफ स्पष्ट है कि प्राक्कलित राशि को पूरा करने के लिए कार्य समाप्ति के बाद भी मापी की प्रविष्टि करने का उददेष्य संवेदक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना था। फलस्वरूप मापी में अनावश्यक रूप से वृद्धि कर रू. 40292.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

2. एकरारनामा (फार्म एफ–2) के कांट्रेक्ट के शर्त के क्लाउज 2 के अनुसार कार्य निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण नहीं किये जाने पर अधिकतम प्राक्कलन (निविदा के अनुसार) के अनुसार 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में कटौती करने का प्रावधान है।

मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य की अंतिम मापी 28.11.12 (पृष्ठ–31) को कि गई जो निर्धारित समय सीमा (दिनांक 02.07.12) से करीब 05 माह विलम्ब से पूर्ण किया गया था।

अतः संवेदक को अंतिम भुगतान करने से पहले अंतिम विपत्र से विलम्ब शुल्क के रूप में रू. 66000.00 (रू. 660000 का 10 प्रतिशत) की कटौती कर वास्तविक भुगतान की जानी चाहिए थी, लेकिन नगर पंचायत के द्वारा ऐसा नहीं किये जाने से उक्त संवेदक को अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता से पूछताछ की जा रही है। जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उपरोक्त (1 एवं 2) में कुल किये गये अधिक भुगतान रू. 106292.00 (रू. 40292.00 + रू. 66000.00) की वसुली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

23. अधिक भुगतान

नगर पंचायत, शिवहर के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु संधारित रोकड़ बही एवं बैंक खाता के मिलान के क्रम में पाया गया कि वार्ड 15 के अनुसूचित जाति टोला में पी.सी.सी रोड निर्माण (एकरारनामा सं0 02/11–12) के संवेदक चंदन कुमार (मंगलम कंस्ट्रक्सन) को द्वितीय मापी (पृष्ठ–07– 18.05.12) के अनुसार रू. 291674.00 भुगतेय था। रोकड़ बही के अनुसार रू. 291674.00 (पृष्ठ–27–18.05.12, चेक सं0. 861568/18.05.12) संवेदक को निर्गत किया गया था जबकि संबंधित बैंक खाता से (केनरा बैंक, शिवहर खाता सं0 3132101001298) रू. 294674.00 कि निकासी दिनांक 17.07.12 को की गई थी।

इस प्रकार संवेदक को रू. 3000.00 (रू. 294674.00– 291674.00) का अधिक भुगतान प्राप्त हो गया, जो वसूलनीय है।

अंकेक्षण आपत्ति का नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि संवेदक के अगले विपत्र से कटौती की जाएगी। जवाब संतोषप्रद है।